न्यायालय जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर

विविध प्रा.पत्र संख्या– 08/24 सन् 2024
जीसीएमएस संख्याः– 2024/46

बउनवानीः– 1. शम्भू प्रसाद पुत्र जगत प्रकाश उपाध्याय जाति ब्राहमण निवासी मिर्जा मोहल्ला शहर सवाईमाधोपुर
2. बाल कृष्ण पुत्र जगत प्रकाश उपाध्याय जाति ब्राहमण निवासी 57– बाल मंदिर कॉलोनी सवाई माधोपुर
3. इन्द्र कुमार पुत्र जगत प्रकाश उपाध्याय जाति ब्राहमण निवासी मिर्जा मोहल्ला शहर सवाईमाधोपुर स0मा0
4. विनोद कुमार पुत्र जगतप्रकाश उपाध्याय जाति ब्राहमण निवासी मिर्जा मोहल्ला शहर सवाईमाधोपुर 0

बनाम

1. सरकार जरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार सवाईमाधोपुर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी बाबत माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर के निर्णय दिनांक 21.12.2005 अनुसार प्रार्थीगण के नाम पुनः खातेदारी दर्ज करने के संबंध में।)

उपस्थित : 1. श्री बालकृष्ण उपाध्याय वकील प्रार्थीगण
2. श्री तौफिक मोहम्मद पैरोकार राजस्व

–: निर्णय :– दिनांक 20.5.2026

प्रार्थीगण की ओर से यह माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 21.12.2005 जिसके अनुसार प्रार्थीगण के पिता को आवंटित भूमि हाल ख0न0 158,160,161 ,162, 163,164 ,269, 270,162/557,159/558,162/561,164/580 के आवंटन आदेश दिनांक 8.2.1983 को बहाल किया गया है। इसलिए उक्त ख0न0 को पुनः प्रार्थीगण की खातेदारी मे दर्ज करने बाबत पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी तहसीलदार सवाईमाधोपुर को सुनवायी हेतु तलब किया गया। तहसीलदार सवाईमाधोपुर की ओर से जवाब पेश किया गया। तत्पश्चात बहस प्रार्थी व पैरोकार राजस्व सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना में उल्लेखित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया है कि प्रार्थीगण के पिता जगत प्रकाश उपाध्याय को सिलिंग एक्ट के अन्तर्गत दिनांक 8.2.1983 को ग्राम हज्जाम खेडी तहसील सवाईमाधोपुर में ख0न0 27 रकबा 44 बीघा 17 बिस्वा मे से 5 बीघा भूमि का आवंटन किया जाकर तत्कालीन पटवारी द्वारा कब्जा सम्भलाया गया था जिसका गैर खातेदारी का नामा0 संख्या 12 दिनांक 2.9.1993 खोला गया था जब तक हमारे पिता जिन्दा रहे काश्त करते रहे। उक्त आवंटन के समय पडौसी काश्तकार नानगा पुत्र बजरंगा ने भी आवंटन के लिए आवेदन किया था परन्तु उसके पास सिलिंग से अधिक भूमि होने के कारण उसे आवंटन नही हो सका जिससे नाराज होकर उसके पुत्र घनश्याम मीना द्वारा की गयी निगरानी पर श्रीमान के न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण के पिता के पक्ष में किये गये उक्त आवंटन को निर्णय दिनांक 25.4.1995 के द्वारा निरस्त कर दिया तथा निर्णय की पालना में आवंटन के बाद हमारे पिता के हक मे खोले गये नामा0 संख्या 12 दिनांक 2.9.1993 निरस्त कर आवंटित भूमि की किस्म सिवायचक कर दी गयी थी। निर्णय दिनांक 25.4.1995 के विरूद्व प्रार्थी के पिता ने राजस्व मण्डल मे अपील प्रस्तुत की गयी जिसको माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 21.12.2005 को स्वीकार की जाकर श्रीमान के न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.4.1995 को निरस्त कर प्रार्थी के पिता को किया गया आवंटन आदेश दिनांक 8.2.1983 को बहाल करते हुए आदेश दिया कि उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर का निर्णय दिनांक 25.4.1995 निरस्त किया जाता है तथा अपीलान्ट का आवंटन दिनांक 8.2.1983 बहाल किया जाता है। हमारे पिता का आवंटन निरस्त होने पर घनश्याम व उसके परिवारजन ने हमारी उक्त आवंटित भूमि पर कब्जा करना चाहा इस कारण उसके परिवारजन के विरूद्व राजस्व वाद न्यायालय उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर मे पेश करना पडा जिसमे घनश्याम व उसके परिवारजन को अस्थायी

(.....1....)

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया तथा दिनांक 6.7.2007 को हमारा वाद डिक्री किया जाकर आदेश दिये कि ग्राम हज्जाम खेडी के साबिक ख0न0 27 रकबा 44 बीघा 17 बिस्वा में वादी के पिता को आवंटित 5 बीघा भूमि का अंकन नवीन राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी को आवंटित व कब्जे काश्त की भूमि पर किसी भी प्रकार की माने मजाहमत न तो स्वंय करे नही किसी ऐजेन्ट या दीगर व्यक्ति से करावे। यह तर्क भी दिया कि ख0न0 27 का रकबा कुल 44 बीघा 16 बिस्वा था तथा उसमे हमारे पिता के अलावा अन्य काफी लोगो को भी आवंटन किया गया था। सेटलमेंट के बाद खसरा नम्बर 27 के नये नम्बर बन गये है जिसका मिलान क्षेत्रफल प्रार्थी के आवेदन के साथ प्रस्तुत है तथा आज भी ख0न0 27 में 7.33 भूमि सिवाचयक है। पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार हमारे पिता को फलोदी रोड़ पर रोड़ के पूर्वी ओर 5 बीघा भूमि पर कब्जा सम्भलाया गया था जहा आज भी हमारा कब्जा मौजूद है परन्तु शिकायत कर्ताओं ने पटवारी हल्का व गिरदावर से मिलकर गलत रिपोर्ट करवा कर तहसीलदार से बार-बार प्रार्थना पत्र खारिज करवा देते है। यह तर्क भी दिया कि श्रीमान के निर्णय से हमारा आवंटन निरस्त किया गया था जिसके आधार पर हमारे पिता का नामा0 निरस्त किया गया है। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेंर के निर्णय दिनांक 21.12.2005 की पालना करते हुए पूर्व स्थिति बहाल करने की कृपा करे।

विद्वान पैरोकार राजस्व द्वारा दौराने बहस कथन किया कि उक्त संबंध मे प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में भी इस न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 21.12.2005 की पालना करवाने एवं इस न्यायालय के निर्णय को रिव्यू करने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जो प्रार्थना पत्र संख्या 5/2019 पर उनवानी जगतप्रसाद बनाम घनश्याम के नाम से दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 30.10.2029 को को निणर्य किया जा चुका है। पूर्व निर्णय की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अप्रार्थीगण के पिता श्री जगत प्रकाश को दिनांक 8.2.1983 को हुए आवंटन को इस न्यायालय के आदेश दिनांक 25.4.1995 से निरस्त किया गया है जिसके विरूद्व प्राथीगण के पिता द्वारा माननीय राजस्व मण्डल मे अपील प्रस्तुत की जाने पर मण्डल के निर्णय दिनांक 21.12.2005 से इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.5.1995 को अपास्त कर प्रार्थी के पिता के आवंटन को बहाल किया गया है। जिसकी पालना हेतु प्रार्थी द्वारा दिनांक 25.2.2016 को जिला कलेक्टर कार्यालय को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के पिता को पूर्व में साबिक ख0न0 27 मे भूमि आवंटित हुई थी तथा वर्तमान में उक्त ख0न0 27 हाल ख0न0 164 रकबा 7.33 मे से 6.93 है0 भूमि नामा0 संख्या 63 दिनांक 10.11.2003 से वन विभाग के नाम हस्तन्तरित की जा चुकी है और उनको साबिक ख0न0 28 हाल ख0न0 165 मे रकबा 1.26 है0 भूमि पर कब्जा सम्भलाया गया था जिस पर वे अब भी काबिज है इसलिए ख0न0 28 हाल ख0न0 165 पर खातेदारी अधिकार दिलवाया जावे। प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र कार्यालय पत्रांक राजस्व/16/1962 दिनांक 1.4.2016 के द्वारा शासन सचिव राजस्व विभाग राजस्थान जयपुर से माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 21.12.2005 के विरूद्व अपील प्रस्तुत करने अथवा नही करने के संबंध में राज्य सरकार की राय चाही जाने पर राजस्व ग्रुप -8 द्वारा पैरावाई टिप्पणी/रिपोर्ट चाही गयी जिस पर जिला कार्यालय पत्रांक राजस्व/16/969 दिनांक 7.3.2019 से रिपोर्ट भिजवायी जाने पर श्रीमान संयुक्त शासन सचिव, राजस्व ग्रुप-8 विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक प.8(8)राज/ग्रुप-8/2016 दिनांक 20.6.2019 द्वारा निर्देश दिये गये है कि सीलिंग प्रकरण संख्या अपील/सीलिंग/102/2000 जगतप्रकाश व अन्य बनाम जिला कलेक्टर व अन्य में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर से पारित निर्णय दिनांक 21.12.2005 के विरूद्व रिट याचिका दायर की जावे। चूंकि राज्य सरकार को प्रेषित रिपोर्ट के मुताबिक ख0न0 27 की भूमि वन विभाग के नाम मण्डल के निर्णय से पूर्व दिनांक 10.11.2003 को हस्तानान्तरित की जा चुकी थी। कब्जा रिपोर्ट में पटवारी हल्का ने बताया कि आवंटी ने डोल लगाकर कब्जा कर रखा है किन्तु अलग से कब्जा संभलाने बाबत नही लिखा है। ख0न0 27 के नवीन ख0न0 पर प्रार्थी का कब्जा नही है तथा हाल ख0न0 165 जो साबिक ख0न0 28 से बना है जिसमे प्रार्थी को आवंटन नही हुआ है उक्त ख0न0 प्रभू हनुमान/बद्री के नाम खातेदारी मे दर्ज है तथा आवंटी के स्वर्गवास होने पर उसके पुत्रों द्वारा तहसील में कोई दस्तावेज/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। प्रार्थी के पिता का आवंटित भूमि पर कब्जा नही होने के कारण श्रीमान के न्यायालय के आदेश दिनांक 25.4.1995 के द्वारा आवंटन निरस्त किया गया

(.....2....)

(कान्ना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

था तथा वर्तमान में भी आवंटी का किसी भी ख0न0 नम्बर पर कब्जा काश्त नही है। जबकि प्रार्थी द्वारा साबिक ख0न0 28 वाके ग्राम हज्जाम खेडी के हाल ख0न0 165 रकबा 1.30 है0 में से रकबा 1.26 है0 पर कब्जा बताया जा रहा है जबकि रिर्पोट भू अभिलेख निरीक्षक के अनुसार आवंटी या उसके वारिसान का कभी कब्जा काश्त नही रहा है। साबिक ख0न0 27 रकबा 44 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम हज्जाम खेडी के तुलनात्मक क्षेत्रफल से हाल ख0न0 158/0.18, 160/0.64, 161/0.06, 162/0.25, 163/0. 30,164/7.33,269/0.01,270/0.56,162/55/0.68,159/558/0.30,162/561/0.13, 164/580 / 0.89 बने है जिन पर जगत प्रकाश एवं उसके वारिसान का कोई कब्जा काश्त नही है। साबिक ख0न0 28 रकबा 33 बीघा 16 बिस्वा के हाल ख0न0 165/1.30,171/599/0.10, 165/595/2.55, 165/596/3.79, 167/597/0.68, 169/667/0.13 बने है जिन पर भी आवंटी अथवा उसके वारिसान का कब्जा काश्त नही है। चूंकि राज्य सरकार द्वारा मण्डल के निर्णय दिनांक 21.12.2005 के विरूद्व रिट याचिका दायर करने बाबत निर्देश प्रदान किये गये है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही किया जाना न्यायोचित नही है इसलिए प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 30.10. 2019 को खारिज किया जा चुका है।

उक्त प्रकरण के संबंध मे पैरोकार राजस्व द्वारा तहसीलदार सवाईमाधोपुर के पत्र क्रमांक एलआर/ 2026/5486 दिनांक 24.4.2026 से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि श्रीमान संयुक्त शासन सचिव, राजस्व ग्रुप–8 विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक प.8(8)राज/ग्रुप–8/2016 दिनांक 20.6.2019 द्वारा निर्देश दिये गये है कि सीलिंग प्रकरण संख्या अपील/सीलिंग/102/2000 जगतप्रकाश व अन्य बनाम जिला कलेक्टर व अन्य में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर से पारित निर्णय दिनांक 21.12.2005 के विरूद्व रिट याचिका दायर की जाने के निर्देश प्राप्त होने पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनरांक 21.12.2005 के विरूद्व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय मे अपील पेश करने बाबत जरिये पत्रांक 489 दिनांक 22.1.2026 से श्री श्यामलाल कसोठिया ऑफिस कानूनगो को निर्देशित किया गया है जिसकी पालना माननीय उच्च न्यायालय मे अपील पेश की जा चुकी है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

वकील प्रार्थीगण एवं पैरोकार राजस्व की और से प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ, कि प्रार्थीगण के पिता श्री जगत प्रकाश को वाके ग्राम हज्जाम खेडी साबिक ख0न0 27 रकबा 44 बीघा 16 बिस्वा मे से दिनांक 8.2.1983 को 5 बीघा भूमि किया गया आवंटन इस न्यायालय की निगरानी संख्या 10/1994 उनवानी घनश्याम बनाम जगत प्रकाश में पारित निर्णय दिनांक 25.4.1995 से निरस्त हो जाने पर प्रार्थी के पिता द्वारा इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 25.4.1995 के विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान में अपील प्रस्तुत करने पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 21.12.2005 से इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 25.4.1995 अपास्त किया जाकर प्रार्थी का आवंटन बहाल रखा गया है किन्तु मण्डल के निर्णय के विरूद्व तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय मे अपील पेश की गयी है जो वर्तमान मे विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय मे प्रस्तुत उक्त अपील के निर्णय मे पारित निर्देशों के अनुसार ही कार्यवाही की जा सकती है। अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय उपरान्त प्रार्थी कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगणो की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.5.2026 को लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

(.....3....)

Scanned with OKEN Scanner